

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700704/16

संस्थित दिनांक-28.02.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. दाताराम पुत्र मानसिंह जाटव उम्र 35 साल
 2. रामप्रकाश पुत्र मानसिंह जाटव उम्र 48 साल
 3. लक्ष्मण पुत्र मानसिंह जाटव उम्र 38 साल
 4. श्रीमती मालती पत्नी दाताराम उम्र 28 साल
- निवासी ग्राम हरगोविंदपुरा थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 13.07.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324, 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.10.16 को करीब 8:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत हरगोविंदपुरा में फरियादी ब्रजेश जाटव के घर के पास सामान्य आशय के अग्रशरण में दाताराम द्वारा धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 323, 323/34 एवं 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324, 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22.10.16 को 8:30 बजे फरियादी ब्रजेश के पड़ौसी अभियुक्तगण रास्ता वाली जगह को कब्जा कर रहे थे। जब उसने रास्ता वाली जगह कब्जा करने से रोका तो उसे मां बहन की गालियां देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो दाताराम ने कुल्हाड़ी मारी जो उसके बाएं हाथ की कलाई में लगी, पिता हाकिमसिंह बचाने

आए तो लक्ष्मण ने उन्हें डण्डे से मारा जो सिर में लगा, मालती ने भी पिता को डण्डा मारा। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क०-253/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्त की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 22.10.16 को 8:30 बजे फरियादी ब्रजेश को धारदार वस्तु की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान हरगोविंदपुरा में फरियादी ब्रजेश जाटव के घर के पास सामान्य आशय के अग्रशरण में दाताराम द्वारा धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में ब्रजेश अ०सा० 1, हाकिमसिंह अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. फरियादी ब्रजेश अ०सा० 1 का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य से 7-8 महीने पहले 8-8:30 बजे की है। उसके पड़ोस के आरोपीगण रास्ते वाली जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसने तथा उसके पिता हाकिमसिंह ने रोका तो झगडा और गाली गलौच करने लगे, धक्का मुक्की में उसका संतुलन खराब हो गया और रास्ते पर पड़ी बोतल पर वह हाथ के बल गिर पडा जिससे उसके बाएं हाथ व कमर में मुदी चोट आई थी। इसके बाद मौहल्ले के लोग शोर सुनकर आ गए तो आरोपीगण भाग गए। इस संबंध में थाना गोहद चौराहा में उसने रिपोर्ट की थी। साक्षी रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से आहत हाकिम सिंह, जो आहत ब्रजेश के पिता भी हैं, यह कथन करते हैं कि आरोपीगण रास्ते की जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उसने तथा लडके ब्रजेश ने रोका तो झगडा करने लगे व गाली गलौच करने लगे। धक्का मुक्की में उसके लडके ब्रजेश का संतुलन खराब हो गया और वह रास्ते में पड़ी कांच की बोतल पर हाथ के बल गिर पडा जिससे उसके बाएं हाथ व कमर में चोट आई।

8. प्रकरण में दोनों ही साक्षी किसी अभियुक्त के द्वारा धारदार वस्तु कुल्हाड़ी, जिसके संबंध में आरोप है, से फरियादी ब्रजेश को चोट पहुंचाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। ब्रजेश को आई चोट विवाद के समय धक्का मुक्की के कारण गिर जाने से कारित होना बताते हैं। दोनों ही साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया और सूचक प्रश्नों में अभियुक्त दाताराम द्वारा कुल्हाड़ी से आहत ब्रजेश को चोट पहुंचाए जाने के संबंध में सुझाव दिया गया, किन्तु दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के उस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया। साक्षियों के द्वारा उनके पूर्वतन कथन प्र०पी० 3 व 4 के संबंध में तथा फरियादी ब्रजेश को पुलिस रिपोर्ट प्रपी० 1 के संबंध में विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर साक्षीगण ने वैसे तथ्य पुलिस को बताए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से उनके द्वारा अपने पूर्वतन कथनों में सारवान विरोधाभास व लोप दर्शित किए हैं। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण से कोई धारदार वस्तु अर्थात् कथित कुल्हाड़ी जब्त नहीं हुई है।

9. संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु असन, भेदन या धारदार वस्तु या क्षारीय वस्तु अथवा ऐसी घातक वस्तु जिसका इस प्रकार प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव है, के माध्यम से स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। अभिलेख पर किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त या अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। यदि तर्क के लिए आहत को घटना दिनांक को चोट कारित होना प्रमाणित भी माना जाए तो उक्त चोट के संबंध में फरियादी ब्रजेश एवं साक्षी हाकिम के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि ब्रजेश को आई चोट धक्का मुक्की में संतुलन खराब हो जाने से स्वयं हाथ के बल कांच की बोतल पर गिर जाने के कारण कारित हुई। ऐसे में अभियुक्तगण का स्वेच्छिक कृत्य प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन कमशः 3 व 4 का प्रश्न है तो उसके संबंध में सुस्थापित है कि वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

10. उपरोक्त विवेचन अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 324 एवं 324/34 के अधीन अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण

संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर धारा 324 एवं 324/34 भादस० से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश